

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH,  
NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 94 OF 2024

In the matter of :

Jagat Singh

...Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors.

...Respondent

INDEX

S.No.	PERTICULARS	PAGE NO.
1.	REPLY OF BEHALF OF U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA GAUTAM BUDDHA NAGAR	1-3
2.	<b>Annexure-1</b> True Copy of Letter Issued by Uttar Pradesh Pollution Control Board on 14-10-2024 for Environmental Compensation.	4-24

NEW DELHI

DATED- ~~10.10.2024~~  
16.10.2024

  
(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)

Counsel for U.P. Pollution Control Board

138, New Lawyers Chamber,

Supreme Court of India

New Delhi-110001

(M.) 9810252518

Email : pradeepmisra@yahoo.com

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL  
BENCH, NEW DELHI**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 94 OF 2024**

**In the matter of:**

Jagat Singh

...Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors.

...Respondent

**REPLY ON BEHALF OF U.P. POLLUTION CONTROL BOARD**

I, Utsav Sharma, aged about 39 years, presently posted as Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, NOIDA do hereby solemnly affirm and declare as under:




1. That in the above-noted capacity, I am well conversant with the facts and records of the present case and am authorized to swear the present affidavit on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board.
2. That the above-noted matter came up for hearing on 27.09.2024, when this Hon'ble Tribunal directed the Answering Respondent to place on record as to what has been done by Board and whether final decision on show cause notices issued on 17.08.2024 has been taken or not.
3. That the present case is regarding illegal crushing of stones and storage of coarse sand at Khasra Nos. 202/2, 374, 376, 783 and 484 in Village *Asgarpur*, Gautambuddha Nagar and



at Khasra Nos. 1/2 and 2/2 of Village *Chak* Basantpur in Noida region.

4. That this Hon'ble Tribunal, vide its order dated 23.04.2024, while noting that the averments made in the Original Application raise substantial question relating to environment, arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I of the National Green Tribunal Act, 2010, constituted a Joint Committee of representatives of Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh, Uttar Pradesh Pollution Control Board and District Magistrate, Gautam Budh Nagar.
5. That in compliance of orders of this Hon'ble Tribunal, District Magistrate, Gautam Buddha Nagar constituted a Committee under the Chairmanship of Additional District Magistrate (Finance/Revenue) on 09.05.2024 to investigate the concerns raised by the Applicant and take appropriate action under the provisions of law.
6. That the site inspection for carrying out the anti-encroachment drive and sealing was done by the committee on 24.06.2024. The machinery used for crushing of stones in said area is mostly mobile in nature and no permanent plant machinery or labor were found on site at the time of inspection, but processed material was available in bulk.
7. That the State Board, taking note of the names of persons mentioned in the letter, which has led to the institution of the present Original Application, has also issued show cause notices to the said individuals on 17.08.2024, asking them to



show cause as to why environmental compensation to the tune of Rs. 5000/- per day, for the last five years, should not be imposed on them for engaging in alleged illegal operation of stone crushers. The State Board has filed its response in the said matter on 28.06.2024 and 19.08.2024 and same has been taken on record by Hon'ble Tribunal.

8. That the State Board has not received any response/representation against the show cause notices issued. Thus, the State Board has imposed an environmental compensation of Rs. 91,25,000/- (Ninety-One Lakhs Twenty Five Thousand Only) against each of the thirteen individuals against whom show cause notice was issued on 17.08.2024. Copy of said order dated 14.10.2024 is annexed as *Annexure I* of the response.
9. That it is humbly prayed that the present Reply may kindly be taken on record by this Hon'ble Tribunal.


  
DEPONENT

VERIFICATION:

I, the deponent abovenamed, do hereby verify that the contents of above reply are true and correct to my knowledge derived from official record. No part of the same is false and nothing material has been concealed therefrom.

VERIFIED ON THIS THE 15<sup>th</sup> DAY OF OCTOBER, 2024 AT NOIDA,  
GAUTAM BUDDHA NAGAR.



**ATTESTED**  
  
Naveen Chandra Sharma  
Advocate Notary  
Dadri Noida (G.B. Nagar)

  
DEPONENT

3

15 OCT 2024



# उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी०सी०-12 वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक : H18539 / सी-1 / सा०-1921 / पर्या०क्षति० / 2024

पंजीकृत

दिनांक : 14/10/24

मैसर्स अनामिका गौगीया, पत्नी-श्री ललित गौगीया,  
निवासी-289, प्रथम तल, जागृति इन्व्हेव, शंकरपुरा,  
नई दिल्ली।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-94/2024 जगत सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-23.04.2024 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर के पत्र दिनांक-09.05.2024 के माध्यम से गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक-24.06.2024 को ग्राम-असगरपुर व चक बसन्तपुर नोएडा के शिकायती पत्र में उल्लिखित स्थल पर किये गये निरीक्षण के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 17.08.2024 के दृष्टिगत राज्य बोर्ड के पत्र संख्या एच-15903/सी-1/एन०जी०टी०-244/पर्या०क्षति०-का०ब०नो०/2024 दिनांक 17.08.2024 द्वारा रू० 5,000/- प्रतिदिन की दर से 05 वर्ष हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने हेतु कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया। तत्कम में क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा द्वारा पत्र दिनांक 03.10.2024 द्वारा इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं०-एच-15903/सी-1/एन०जी०टी०-244/पर्या०क्षति०-का०ब०नो०/2024 दिनांक 17.08.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए रू० 5,000/- प्रतिदिन की दर से विगत 05 वर्ष हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने की संस्तुति की गई है।

अतः क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई संस्तुति के अनुक्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं०-एच-15903/सी-1/एन०जी०टी०-244/पर्या०क्षति०-का०ब०नो०/2024 दिनांक 17.08.2024 की पुष्टि करते हुए इकाई के विरुद्ध 05 वर्ष (365X5=1825 दिन) की समयावधि हेतु 1825X5,000= रू० 91,25,000/- (रू० इक्यान्वे लाख पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवम् आपको निर्देशित किया जाता है कि अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपया-91,25,000/- (रू० इक्यान्वे लाख पच्चीस हजार मात्र) जिसका भुगतान Payment gateway ([URL:https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB](https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB)) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नलिखित विशिष्ट सूचना का चयन करें :-

- 1- Nature of Pollution/ प्रदूषण की प्रकृति
- 2- Regional Offices / क्षेत्रीय कार्यालय
- 3- EC imposed in Compliance/ अनुपालन में ईसी लगाया गया

Air Pollution  
Noida  
UPPCB

टी०सी०-12वीं, विभूति खण्ड  
गोमती नगर, लखनऊ-226010  
दूरभाष: 2720831, 2720828, 2720691, 2720681  
ई-मेल : [info@uppcb.com](mailto:info@uppcb.com)

...2

TC-12V, Vibhuti Khand,  
Gomti Nagar, Lucknow-226010  
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681  
E-mail : [info@uppcb.com](mailto:info@uppcb.com)

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलम्बतम् 15 कार्यदिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा उक्त का साक्ष्य उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा तथा बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में इकाई के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

( विवेक राय )

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1  
9/2

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1  
9/2



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



Ref No. :

H18542

C-1/सा0-1914/2024

Date: 14/10/24

मैसर्स श्री गिरिराज पुत्र श्री धर्म सिंह,  
निवासी असगरपुर जागीर, थाना सेक्टर-126,  
नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-94/2024 जगत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-23.04.2024 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर के पत्र दिनांक-09.05.2024 के माध्यम से गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक-24.06.2024 को ग्राम-असगरपुर व चकबसन्तपुर, नोएडा के शिकायती पत्र में उल्लिखित स्थल पर किये गये निरीक्षण के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 17.08.2024 के दृष्टिगत राज्य बोर्ड के पत्र संख्या एच-15903/सी-1/एन0जी0टी0-244/पर्या0क्षति0-का0ब0नो0/2024 दिनांक 17.08.2024 द्वारा रूपये: 5,000/- प्रतिदिन की दर से 05 वर्ष हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने हेतु कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया। तत्कम में क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा द्वारा पत्र दिनांक: 03.10.2024 द्वारा इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच-15903/सी-1/एन0जी0टी0-244/पर्या0क्षति0-का0ब0नो0/2024, दिनांक: 17.08.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए रूपये: 5,000/- प्रतिदिन की दर से विगत 05 वर्ष हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने की संस्तुति प्रेषित की गई है।

अतः क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच-15903/सी-1/एन0जी0टी0-244/पर्या0क्षति0-का0ब0नो0/2024, दिनांक: 17.08.2024 की पुष्टि करते हुए इकाई के विरुद्ध 05 वर्ष (365 X 5 = 1825 दिन) की समयावधि हेतु 1825 X 5,000 = रूपये- 91,25,000/- (रूपये इक्यान्चे लाख पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवम् आपको निर्देशित किया जाता है कि अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपया-91,25,000/- (रूपये इक्यान्चे लाख पच्चीस हजार मात्र) को Payment Gateway (URL: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment Gateway के Homepage के Dropdown में निम्नलिखित विशिष्ट सूचना का चयन करें :-

1. Nature of Pollution/प्रदूषण की प्रकृति Air Pollution
2. Regional Offices/क्षेत्रीय कार्यालय Noida
3. EC imposed in Compliance/अनुपालन में ई.सी. लगाया गया UPPCB

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलम्बतम् 15 कार्य दिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा उक्त का साक्ष्य उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा तथा बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में इकाई के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

( विवेक राय )

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



# उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी०सी०-12 वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक : H18535 / सी-1 / सा०-1918 / पर्या०क्षति० / 2024

दिनांक : 14/10/24

मैसर्स हेमन्त, पुत्र-श्री पूरन,  
निवासी-8/25, गांधी नगर,  
नई दिल्ली।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-94/2024 जगत सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-23.04.2024 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर के पत्र दिनांक-09.05.2024 के माध्यम से गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक-24.06.2024 को ग्राम-असगरपुर व चक बसन्तपुर नोएडा के शिकायती पत्र में उल्लिखित स्थल पर किये गये निरीक्षण के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 17.08.2024 के दृष्टिगत राज्य बोर्ड के पत्र संख्या एच-15903/सी-1/एन०जी०टी०-244/पर्या०क्षति०-का०ब०नो०/2024 दिनांक 17.08.2024 द्वारा रू० 5,000/- प्रतिदिन की दर से 05 वर्ष हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने हेतु कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया। तत्कम में क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा द्वारा पत्र दिनांक 03.10.2024 द्वारा इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं०-एच-15903/सी-1/एन०जी०टी०-244/पर्या०क्षति०-का०ब०नो०/2024 दिनांक 17.08.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए रू० 5,000/- प्रतिदिन की दर से विगत 05 वर्ष हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने की संस्तुति की गई है।

अतः क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई संस्तुति के अनुक्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं०-एच-15903/सी-1/एन०जी०टी०-244/पर्या०क्षति०-का०ब०नो०/2024 दिनांक 17.08.2024 की पुष्टि करते हुए इकाई के विरुद्ध 05 वर्ष (365X5=1825 दिन) की समयावधि हेतु 1825X5,000= रू० 91,25,000/- (रू० इक्यान्हे लाख पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवम् आपको निर्देशित किया जाता है कि अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपया-91,25,000/- (रू० इक्यान्हे लाख पच्चीस हजार मात्र) जिसका भुगतान Payment gateway ([URL:https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB](https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB)) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नलिखित विशिष्ट सूचना का चयन करें :-

- |  |               |
|--|---------------|
| 1- Nature of Pollution/ प्रदूषण की प्रकृति             | Air Pollution |
| 2- Regional Offices / क्षेत्रीय कार्यालय               | Noida         |
| 3- EC Imposed in Compliance/ अनुपालन में ईसी लगाया गया | UPPCB         |

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलम्बतम् 15 कार्यदिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा उक्त का साक्ष्य उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा तथा बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में इकाई के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

( विक्रम राय )

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1  
o/c

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1  
o/c



# उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी०सी०-12 वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक : 118532

/सी-1/सा०-1917/पर्या०क्षति०/2024

प्रंजीकृत

दिनांक : 14/10/24

मैसर्स जतिन, पुत्र-श्री मोहनलाल,  
8/25, गीता कॉलोनी,  
नई दिल्ली।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-94/2024 जगत सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-23.04.2024 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर के पत्र दिनांक-09.05.2024 के माध्यम से गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक-24.06.2024 को ग्राम-असगरपुर व चक बसन्तपुर नोएडा के शिकायती पत्र में उल्लिखित स्थल पर किये गये निरीक्षण के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 17.08.2024 के दृष्टिगत राज्य बोर्ड के पत्र संख्या एच-15903/सी-1/एन०जी०टी०-244/पर्या०क्षति०-का०ब०नो०/2024 दिनांक 17.08.2024 द्वारा रू० 5,000/- प्रतिदिन की दर से 05 वर्ष हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने हेतु कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया। तत्क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा द्वारा पत्र दिनांक 03.10.2024 द्वारा इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं०-एच-15903/सी-1/एन०जी०टी०-244/पर्या०क्षति०-का०ब०नो०/2024 दिनांक 17.08.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए रू० 5,000/- प्रतिदिन की दर से विगत 05 वर्ष हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने की संस्तुति की गई है।

अतः क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई संस्तुति के अनुक्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं०-एच-15903/सी-1/एन०जी०टी०-244/पर्या०क्षति०-का०ब०नो०/2024 दिनांक 17.08.2024 की पुष्टि करते हुए इकाई के विरुद्ध 05 वर्ष (365X5=1825 दिन) की समयावधि हेतु 1825X5,000= रू० 91,25,000/- (रू० इक्यान्बे लाख पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवम् आपको निर्देशित किया जाता है कि अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपया-91,25,000/- (रू० इक्यान्बे लाख पच्चीस हजार मात्र) जिसका भुगतान Payment gateway (URL: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नलिखित विशिष्ट सूचना का चयन करें :-

- 1- Nature of Pollution/ प्रदूषण की प्रकृति
- 2- Regional Offices / क्षेत्रीय कार्यालय
- 3- EC imposed in Compliance/ अनुपालन में ईसी लगाया गया

Air Pollution  
Noida  
UPPCB

...2

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलम्बतम् 15 कार्यदिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा उक्त का साक्ष्य उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा तथा बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में इकाई के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

( विवेक राय )

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



Ref No. :

H18546 / C-1 / सा०-1915/2024

मैसर्स श्री महावीर पुत्र श्री परमाल,  
निवासी जलपुरा, थाना ईकोटेक-3,  
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।

Date: 14/10/24

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-94/2024 जगत सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-23.04.2024 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर के पत्र दिनांक-09.05.2024 के माध्यम से गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक-24.06.2024 को ग्राम-असगरपुर व चकबसन्तपुर, नोएडा के शिकायती पत्र में उल्लिखित स्थल पर किये गये निरीक्षण के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 17.08.2024 के दृष्टिगत राज्य बोर्ड के पत्र संख्या एच-15903/सी-1/एन०जी०टी०-244/पर्या०क्षति०-का०ब०नो०/2024 दिनांक 17.08.2024 द्वारा रूपये: 5,000/- प्रतिदिन की दर से 05 वर्ष हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने हेतु कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया। तत्कम में क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा द्वारा पत्र दिनांक: 03.10.2024 द्वारा इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच-15903/सी-1/एन०जी०टी०-244/पर्या०क्षति०-का०ब०नो०/2024, दिनांक: 17.08.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए रूपये: 5,000/- प्रतिदिन की दर से विगत 05 वर्ष हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने की संस्तुति प्रेषित की गई है।

अतः क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच-15903/सी-1/एन०जी०टी०-244/पर्या०क्षति०-का०ब०नो०/2024, दिनांक: 17.08.2024 की पुष्टि करते हुए इकाई के विरुद्ध 05 वर्ष (365 x 5 = 1825 दिन) की समयावधि हेतु 1825 x 5,000 = रूपये- 91,25,000/- (रूपये इक्यान्वे लाख पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवम् आपको निर्देशित किया जाता है कि अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपया-91,25,000/- (रूपये इक्यान्वे लाख पच्चीस हजार मात्र) को Payment Gateway (URL:https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment Gateway के Homepage के Dropdown में निम्नलिखित विशिष्ट सूचना का चयन करें :-

1. Nature of Pollution/प्रदूषण की प्रकृति Air Pollution
2. Regional Offices/क्षेत्रीय कार्यालय Noida
3. EC imposed in Compliance/अनुपालन में ई.सी. लगाया गया UPPCB

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलम्बतम् 15 कार्य दिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा उक्त का साक्ष्य उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा तथा बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में इकाई के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

( विवेक राय )

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता , वृत्त-1

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता , वृत्त-1



127

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



Ref No. :

H18543/ C-1/सा0-1913/2024

Date: 14/10/24

मैसर्स श्री मिथुन व श्री सचिन पुत्र श्री कृष्णपाल,  
निवासी असगरपुर जागीर, थाना सेक्टर-126,  
नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-94/2024 जगत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-23.04.2024 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर के पत्र दिनांक-09.05.2024 के माध्यम से गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक-24.06.2024 को ग्राम-असगरपुर व चकबसन्तपुर, नोएडा के शिकायती पत्र में उल्लिखित स्थल पर किये गये निरीक्षण के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 17.08.2024 के दृष्टिगत राज्य बोर्ड के पत्र संख्या एच-15903/सी-1/एन0जी0टी0-244/पर्या0क्षति0-का0ब0नो0/2024 दिनांक 17.08.2024 द्वारा रुपये: 5,000/- प्रतिदिन की दर से 05 वर्ष हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने हेतु कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया। तत्कम में क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा द्वारा पत्र दिनांक: 03.10.2024 द्वारा इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच-15903/सी-1/एन0जी0टी0-244/पर्या0क्षति0-का0ब0नो0/2024, दिनांक: 17.08.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए रुपये: 5,000/- प्रतिदिन की दर से विगत 05 वर्ष हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने की संस्तुति प्रेषित की गई है।

अतः क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच-15903/सी-1/एन0जी0टी0-244/पर्या0क्षति0-का0ब0नो0/2024, दिनांक: 17.08.2024 की पुष्टि करते हुए इकाई के विरुद्ध 05 वर्ष (365 X 5 = 1825 दिन) की समयावधि हेतु 1825 X 5,000 = रुपये- 91,25,000/- (रुपये इक्यान्वे लाख पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवम् आपको निर्देशित किया जाता है कि अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रुपया-91,25,000/- (रुपये इक्यान्वे लाख पच्चीस हजार मात्र) को Payment Gateway (URL:https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment Gateway के Homepage के Dropdown में निम्नलिखित विशिष्ट सूचना का चयन करें :-

1. Nature of Pollution/प्रदूषण की प्रकृति Air Pollution
2. Regional Offices/क्षेत्रीय कार्यालय Noida
3. EC imposed in Compliance/अनुपालन में ई.सी. लगाया गया UPPCB

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलम्बतम् 15 कार्य दिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा उक्त का साक्ष्य उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा तथा बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में इकाई के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

( विवेक राय )

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता , वृत्त-1

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता , वृत्त-1



128

## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



Ref No.:

H18544/C-1/सा10-1912/2024

Date: 14/10/24

मैसर्स श्री कृष्णपाल व श्री विजय पाल व  
श्री जय किशन पुत्र श्री चेताराम व श्री चेताराम पुत्र अमीचन्द,  
निवासी असगरपुर जागीर, थाना सेक्टर-126, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-94/2024 जगत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-23.04.2024 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर के पत्र दिनांक-09.05.2024 के माध्यम से गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक-24.06.2024 को ग्राम-असगरपुर व चकबसन्तपुर, नोएडा के शिकायती पत्र में उल्लिखित स्थल पर किये गये निरीक्षण के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 17.08.2024 के दृष्टिगत राज्य बोर्ड के पत्र संख्या एच-15903/सी-1/एन0जी0टी0-244/पर्या0क्षति0-का0ब0नो0/2024 दिनांक 17.08.2024 द्वारा रूपये: 5,000/- प्रतिदिन की दर से 05 वर्ष हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने हेतु कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया। तत्कम में क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा द्वारा पत्र दिनांक: 03.10.2024 द्वारा इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच-15903/सी-1/एन0जी0टी0-244/पर्या0क्षति0-का0ब0नो0/2024, दिनांक: 17.08.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए रूपये: 5,000/- प्रतिदिन की दर से विगत 05 वर्ष हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने की संस्तुति प्रेषित की गई है।

अतः क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच-15903/सी-1/एन0जी0टी0-244/पर्या0क्षति0-का0ब0नो0/2024, दिनांक: 17.08.2024 की पुष्टि करते हुए इकाई के विरुद्ध 05 वर्ष (365 x 5 = 1825 दिन) की समयावधि हेतु 1825 x 5,000 = रूपये- 91,25,000/- (रूपये इक्यान्वे लाख पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवम् आपको निर्देशित किया जाता है कि अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपया-91,25,000/- (रूपये इक्यान्वे लाख पच्चीस हजार मात्र) को Payment Gateway (URL:https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment Gateway के Homepage के Dropdown में निम्नलिखित विशिष्ट सूचना का चयन करें :-

1. Nature of Pollution/प्रदूषण की प्रकृति Air Pollution
2. Regional Offices/क्षेत्रीय कार्यालय Noida
3. EC imposed in Compliance/अनुपालन में ई.सी. लगाया गया UPPCB

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलम्बतम् 15 कार्य दिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा उक्त का साक्ष्य उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा तथा बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में इकाई के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

( विवेक राय )

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड  
गोमती नगर, लखनऊ-226010  
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681  
फैक्स : 0522-2720764  
ई-मेल : info@uppcb.com | website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,  
Gomti Nagar, Lucknow-226010  
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681  
Fax : 0522-2720764  
e.mail : info@uppcb.com | website: www.uppcb.com

13



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



Ref No. :

H18545 / C-1 / सा०-1923/2024

Date: 14/10/24

मैसर्स श्री आशुष पुत्र श्री अशोक,  
निवासी मैन रोड, जिला जौरहार,  
असम।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-94/2024 जगत सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-23.04.2024 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर के पत्र दिनांक-09.05.2024 के माध्यम से गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक-24.06.2024 को ग्राम-असगरपुर व चकबसन्तपुर, नोएडा के शिकायती पत्र में उल्लिखित स्थल पर किये गये निरीक्षण के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 17.08.2024 के दृष्टिगत राज्य बोर्ड के पत्र संख्या एच-15903/सी-1/एन०जी०टी०-244/पर्या०क्षति०-का०ब०नो०/2024 दिनांक 17.08.2024 द्वारा रुपये: 5,000/- प्रतिदिन की दर से 05 वर्ष हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने हेतु कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया। तत्क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा द्वारा पत्र दिनांक: 03.10.2024 द्वारा इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच-15903/सी-1/एन०जी०टी०-244/पर्या०क्षति०-का०ब०नो०/2024, दिनांक: 17.08.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए रुपये: 5,000/- प्रतिदिन की दर से विगत 05 वर्ष हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने की संस्तुति प्रेषित की गई है।

अतः क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच-15903/सी-1/एन०जी०टी०-244/पर्या०क्षति०-का०ब०नो०/2024, दिनांक: 17.08.2024 की पुष्टि करते हुए इकाई के विरुद्ध 05 वर्ष (365 x 5 = 1825 दिन) की समयावधि हेतु 1825 x 5,000 = रुपये- 91,25,000/- (रुपये इक्यान्वे लाख पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवम् आपको निर्देशित किया जाता है कि अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपया-91,25,000/- (रुपये इक्यान्वे लाख पच्चीस हजार मात्र) को Payment Gateway (URL:https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment Gateway के Homepage के Dropdown में निम्नलिखित विशिष्ट सूचना का चयन करें :-

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Nature of Pollution/प्रदूषण की प्रकृति               | Air Pollution |
| 2. Regional Offices/क्षेत्रीय कार्यालय                  | Noida         |
| 3. EC imposed in Compliance/अनुपालन में ई.सी. लगाया गया | UPPCB         |

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलम्बतम् 15 कार्य दिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा उक्त का साक्ष्य उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा तथा बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में इकाई के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

( विवेक राय )

% मुख् पर्यावरण अभियन्ता , वृत्त-1

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

% मुख् पर्यावरण अभियन्ता , वृत्त-1



# उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी०सी०-12 वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक : H18537 / सी-1 / सा०-1919 / पर्या०क्षति० / 2024

पंजीकृत  
दिनांक : 14/10/24

मैसर्स संजय कुमार, पुत्र-श्री ओमप्रकाश,  
निवासी-8/32, गीता कॉलोनी,  
नई दिल्ली।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-94/2024 जगत सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-23.04.2024 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर के पत्र दिनांक-09.05.2024 के माध्यम से गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक-24.06.2024 को ग्राम-असगरपुर व चक बसन्तपुर नोएडा के शिकायती पत्र में उल्लिखित स्थल पर किये गये निरीक्षण के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 17.08.2024 के दृष्टिगत राज्य बोर्ड के पत्र संख्या एच-15903/सी-1/एन०जी०टी०-244/पर्या०क्षति०-का०ब०नो०/2024 दिनांक 17.08.2024 द्वारा रू० 5,000/- प्रतिदिन की दर से 05 वर्ष हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने हेतु कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया। तत्क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा द्वारा पत्र दिनांक 03.10.2024 द्वारा इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं०-एच-15903/सी-1/एन०जी०टी०-244/पर्या०क्षति०-का०ब०नो०/2024 दिनांक 17.08.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए रू० 5,000/- प्रतिदिन की दर से विगत 05 वर्ष हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने की संस्तुति की गई है।

अतः क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई संस्तुति के अनुक्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं०-एच-15903/सी-1/एन०जी०टी०-244/पर्या०क्षति०-का०ब०नो०/2024 दिनांक 17.08.2024 की पुष्टि करते हुए इकाई के विरुद्ध 05 वर्ष (365X5=1825 दिन) की समयावधि हेतु 1825X5,000= रू० 91,25,000/- (रू० इक्यान्वे लाख पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवम् आपको निर्देशित किया जाता है कि अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू० 91,25,000/- (रू० इक्यान्वे लाख पच्चीस हजार मात्र) जिसका भुगतान Payment gateway (URL: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नलिखित विशिष्ट सूचना का चयन करें :-

- |  |               |
|--|---------------|
| 1- Nature of Pollution/ प्रदूषण की प्रकृति             | Air Pollution |
| 2- Regional Offices / क्षेत्रीय कार्यालय               | Noida         |
| 3- EC imposed in Compliance/ अनुपालन में ईसी लगाया गया | UPPCB         |

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलम्बतम् 15 कार्यदिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा उक्त का साक्ष्य उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा तथा बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में इकाई के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

( विवेक राय )

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

LC



# उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी०सी०-12 वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

पंजीकृत

पत्रांक : H18538 / सी-1 / सा०-1916 / पर्या०क्षति० / 2024

दिनांक : 14/10/24

मैसर्स ललित गौगीया,  
पुत्र-श्री किशनचन्द,  
निवासी-289, प्रथम तल, जागृति इन्क्लेव, शंकरपुरा,  
नई दिल्ली।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-94/2024 जगत सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-23.04.2024 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर के पत्र दिनांक-09.05.2024 के माध्यम से गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक-24.06.2024 को ग्राम-असगरपुर व चक बसन्तपुर नोएडा के शिकायती पत्र में उल्लिखित स्थल पर किये गये-निरीक्षण के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 17.08.2024 के दृष्टिगत राज्य बोर्ड के पत्र संख्या एच-15903/सी-1/एन०जी०टी०-244/पर्या०क्षति०-का०ब०नो०/2024 दिनांक 17.08.2024 द्वारा रू० 5,000/- प्रतिदिन की दर से 05 वर्ष हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने हेतु कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया। तत्कम में क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा द्वारा पत्र दिनांक 03.10.2024 द्वारा इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं०-एच-15903/सी-1/एन०जी०टी०-244/पर्या०क्षति०-का०ब०नो०/2024 दिनांक 17.08.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए रू० 5,000/- प्रतिदिन की दर से विगत 05 वर्ष हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने की संस्तुति की गई है।

अतः क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई संस्तुति के अनुक्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं०-एच-15903/सी-1/एन०जी०टी०-244/पर्या०क्षति०-का०ब०नो०/2024 दिनांक 17.08.2024 की पुष्टि करते हुए इकाई के विरुद्ध 05 वर्ष (365X5=1825 दिन) की समयावधि हेतु 1825X5,000= रू० 91,25,000/- (रू० इक्यान्हे लाख पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवम् आपको निर्देशित किया जाता है कि अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपया-91,25,000/- (रू० इक्यान्हे लाख पच्चीस हजार मात्र) जिसका भुगतान Payment gateway ([URL:https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB](https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB)) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें।

Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नलिखित विशिष्ट सूचना का चयन करें :-

- |  |               |
|--|---------------|
| 1- Nature of Pollution/ प्रदूषण की प्रकृति             | Air Pollution |
| 2- Regional Offices / क्षेत्रीय कार्यालय               | Noida         |
| 3- EC imposed in Compliance/ अनुपालन में इसी लगाया गया | UPPCB         |

...2

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलम्बतम् 15 कार्यदिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा उक्त का साक्ष्य उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा तथा बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में इकाई के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

(विवेक/रथ)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1  
१८

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1  
१८



# उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी०सी०-12 वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

~~पंजीकृत~~

पत्रांक : HI 8533 / सी-1 / सा०-1920 / पर्या०क्षति० / 2024

दिनांक : 14/10/24

मैसर्स राज अरोरा, पुत्र-श्री ओमप्रकाश,  
निवासी-8/32, गीता कॉलोनी,  
नई दिल्ली।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-94/2024 जगत सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-23.04.2024 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर के पत्र दिनांक-09.05.2024 के माध्यम से गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक-24.06.2024 को ग्राम-असगरपुर व चक बसन्तपुर नोएडा के शिकायती पत्र में उल्लिखित स्थल पर किये गये निरीक्षण के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 17.08.2024 के दृष्टिगत राज्य बोर्ड के पत्र संख्या एच-15903/सी-1/एन०जी०टी०-244/पर्या०क्षति०-का०ब०नो०/2024 दिनांक 17.08.2024 द्वारा रू० 5,000/- प्रतिदिन की दर से 05 वर्ष हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने हेतु कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया। तत्कम में क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा द्वारा पत्र दिनांक 03.10.2024 द्वारा इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं०-एच-15903/सी-1/एन०जी०टी०-244/पर्या०क्षति०-का०ब०नो०/2024 दिनांक 17.08.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए रू० 5,000/- प्रतिदिन की दर से विगत 05 वर्ष हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने की संस्तुति की गई है।

अतः क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई संस्तुति के अनुक्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं०-एच-15903/सी-1/एन०जी०टी०-244/पर्या०क्षति०-का०ब०नो०/2024 दिनांक 17.08.2024 की पुष्टि करते हुए इकाई के विरुद्ध 05 वर्ष (365X5=1825 दिन) की समयवधि हेतु 1825X5,000= रू० 91,25,000/- (रू० इक्यान्वे लाख पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवम् आपको निर्देशित किया जाता है कि अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपया-91,25,000/- (रू० इक्यान्वे लाख पच्चीस हजार मात्र) जिसका भुगतान Payment gateway (URL: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें।

Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नलिखित विशिष्ट सूचना का चयन करें :-

- |  |               |
|--|---------------|
| 1- Nature of Pollution/ प्रदूषण की प्रकृति             | Air Pollution |
| 2- Regional Offices / क्षेत्रीय कार्यालय               | Noida         |
| 3- EC imposed in Compliance/ अनुपालन में ईसी लगाया गया | UPPCB         |

...2

LP

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलम्बतम् 15 कार्यदिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा उक्त का साक्ष्य उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा तथा बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में इकाई के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

( विवेक राय )

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1  
%

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1  
%



# उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी०सी०-12 वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक : H18536 / सी-1 / सा०-1922 / पर्या०क्षति० / 2024

पंजीकृत  
दिनांक : 14/10/24

मैसर्स संदीप माहेश्वरी, पुत्र-श्री छगनलाल,  
निवासी-एन०एच०बी०-3, हवेलिया, शंकरपुर, बीरुवरी,  
गुवहाटी, असम।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-94/2024 जगत सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-23.04.2024 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर के पत्र दिनांक-09.05.2024 के माध्यम से गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक-24.06.2024 को ग्राम-असगरपुर व चक बसन्तपुर नोएडा के शिकायती पत्र में उल्लिखित स्थल पर किये गये निरीक्षण के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 17.08.2024 के दृष्टिगत राज्य बोर्ड के पत्र संख्या एच-15903/सी-1/एन०जी०टी०-244/पर्या०क्षति०-का०ब०नो०/2024 दिनांक 17.08.2024 द्वारा रु० 5,000/- प्रतिदिन की दर से 05 वर्ष हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने हेतु कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया। तत्कम में क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा द्वारा पत्र दिनांक 03.10.2024 द्वारा इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं०-एच-15903/सी-1/एन०जी०टी०-244/पर्या०क्षति०-का०ब०नो०/2024 दिनांक 17.08.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए रु० 5,000/- प्रतिदिन की दर से विगत 05 वर्ष हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने की संस्तुति की गई है।

अतः क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई संस्तुति के अनुक्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं०-एच-15903/सी-1/एन०जी०टी०-244/पर्या०क्षति०-का०ब०नो०/2024 दिनांक 17.08.2024 की पुष्टि करते हुए इकाई के विरुद्ध 05 वर्ष (365X5=1825 दिन) की समयावधि हेतु 1825X5,000= रु० 91,25,000/- (रु० इक्यान्वे लाख पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवम् आपको निर्देशित किया जाता है कि अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपया-91,25,000/- (रु० इक्यान्वे लाख पच्चीस हजार मात्र) जिसका भुगतान Payment gateway (URL: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नलिखित विशिष्ट सूचना का चयन करें :-

- 1- Nature of Pollution/ प्रदूषण की प्रकृति
- 2- Regional Offices / क्षेत्रीय कार्यालय
- 3- EC imposed in Compliance/ अनुपालन में ईसी लगाया गया

Air Pollution  
Noida  
UPPCB

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलम्बतम् 15 कार्यदिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा उक्त का साक्ष्य उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा तथा बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में इकाई के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

( विवेक राय )

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1  
१/०

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1  
१/०



# उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी०सी०-12 वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक : H18840 / सी-1 / सा०-1924 / पर्या०क्षति० / 2024

पंजीकृत  
दिनांक : 14/10/24

मैसर्स सुभाष, पुत्र-श्री रामचरण,  
निवासी-घोड़ी बछेड़ा,  
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-94/2024 जगत सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-23.04.2024 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर के पत्र दिनांक-09.05.2024 के माध्यम से गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक-24.06.2024 को ग्राम-असगरपुर व चक बसन्तपुर नोएडा के शिकायती पत्र में उल्लिखित स्थल पर किये गये निरीक्षण के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 17.08.2024 के दृष्टिगत राज्य बोर्ड के पत्र संख्या एच-15903/सी-1/एन०जी०टी०-244/पर्या०क्षति०-का०ब०नो०/2024 दिनांक 17.08.2024 द्वारा रू० 5,000/- प्रतिदिन की दर से 05 वर्ष हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने हेतु कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया। तत्क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा द्वारा पत्र दिनांक 03.10.2024 द्वारा इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं०-एच-15903/सी-1/एन०जी०टी०-244/पर्या०क्षति०-का०ब०नो०/2024 दिनांक 17.08.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए रू० 5,000/- प्रतिदिन की दर से विगत 05 वर्ष हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने की संस्तुति की गई है।

अतः क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई संस्तुति के अनुक्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं०-एच-15903/सी-1/एन०जी०टी०-244/पर्या०क्षति०-का०ब०नो०/2024 दिनांक 17.08.2024 की पुष्टि करते हुए इकाई के विरुद्ध 05 वर्ष (365X5=1825 दिन) की समयावधि हेतु 1825X5,000= रू० 91,25,000/- (रू० इक्यान्वे लाख पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवम् आपको निर्देशित किया जाता है कि अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपया-91,25,000/- (रू० इक्यान्वे लाख पच्चीस हजार मात्र) जिसका भुगतान Payment gateway (URL: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें।

Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नलिखित विशिष्ट सूचना का चयन करें :-

- |  |               |
|--|---------------|
| 1- Nature of Pollution/ प्रदूषण की प्रकृति             | Air Pollution |
| 2- Regional Offices / क्षेत्रीय कार्यालय               | Noida         |
| 3- EC Imposed in Compliance/ अनुपालन में ईसी लगाया गया | UPPCB         |

...2

28

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलम्बतम् 15 कार्यदिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा उक्त का साक्ष्य उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा तथा बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में इकाई के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

( विवेक राय )  
 9/ मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

( विवेक राय )  
 9/ मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1